भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 187A/2017–18

पूदी टुडू बनाम घासीराम मार्डी

:: आदेश::

...क	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
02-05-18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 1014 दिनांक 29.12.17 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 187 A/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता पूदी टुडू पति स्व0 धुनु टुडू, ग्राम–गमदेसाई, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता घासीराम मार्डी पिता पोगरो मार्डी, ग्राम–सरंगपोसी, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
मुड़ियापाड़ा	153	103	593	11.5डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के ससुर के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने ससुर एवं पति के मृत्यु पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहती है। बिक्रेता के पास 8.94 एकड़ भूमि है, जिसमें से 11.5 डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 8.82½ एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'संथाल' जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 11.5 डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

(हस्ताक्षर) 02/05/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner